



मैसर्स

fo" k; %& I = 2017&18 gsrq fo | ky; dh I Qkbz@I gj {kk , oW cKxokuh I xkvka gsrq dks/s ku  
W/S Mj QkeZ W

महोदय,

1 सफाई/सुरक्षा एवं बागवानी सेवाओं हेतु dk/s ku फर्म के लेटर पेड के साथ अपनी फर्म के रेट (संलग्न प्रपत्र अ) में भरकर तथा विद्यालय द्वारा भेजी गई समस्त नियम व शर्तों (conditions) की प्रति ठेकेदार के द्वारा हस्ताक्षरित व फर्म की मोहर अंकित कर सील बन्द लिफाफे में iathdr Mkd द्वारा दिनांक **18-11-2017** i.e; ckn nki gj **03-00** cts तक विद्यालय कार्यालय में पहुंचनी अनिवार्य है। डाक में विलम्ब होने की जवाबदारी विद्यालय की नहीं होगी।

2- कोटेशन दिनांक 20-11-2017 i.e; I cg 09%30 बजे खोली जायेगी।

3- कोटेशन फार्म में दिये गये नियमों व शर्तों तथा संलग्न अनुबन्ध 1,2 व 3 (Annexure,1,2,3,) के अनुसार ही कोटेशन विद्यालय में जमा करनी होगी।

4- फर्म के रजिस्ट्रेशन लेबर फर्म रजिस्ट्रेशन / **Service tax number , EPF & ESI registration number, PAN, TAN, Security License Registration & Labour Contractor License Registration** के सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति कोटेशन के साथ लगाना अनिवार्य है। **License should be renewed upto date.**

5. **Firms who quote rate for Watch & Wards- Security Service must submit the proper license issued by competent authority for running business of private security agency operating in Punjab & License should be renewed upto date.**

6- कोटेशन में किसी प्रकार की काट-छांट व ओवर राइटिंग (Cutting and over writing) नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की काट-छांट व ओवर राइटिंग (Cutting and over writing) होगी तो कोटेशन अस्वीकृत कर दी जायेगी।

7- कोटेशन स्वीकार होने पर एक वर्ष का अनुबन्ध होगा तथा ठेकेदार अनुबन्ध की सभी नियम व शर्तों (Terms & Condition) को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा।

8- कोटेशन स्वीकार होने पर सम्पूर्ण वर्ष की अनुमानित राशि के अनुसार 10 प्रतिशत अमानत राशि (Security Deposit) के तौर पर अनुबन्ध से पूर्व विद्यालय में जमा करवाये जायेगे। तथा नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।

09- टेन्डर स्वीकृति के पश्चात फर्म/ठेकेदार द्वारा कोटेशन के नियम व शर्तों व अनुबन्ध की सभी नियम व शर्तों के नहीं मानने पर धरोहर राशि के साथ अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

10- समस्त कर्मचारियों की पोशाक ठेकेदार द्वारा प्रदान की जायेगी। तथा कर्मचारी को उक्त पोशाक पहन कर प्रतिदिन विद्यालय में आना अनिवार्य होगा। चौकीदारी हेतु टॉर्च व (whistle Bamboo stick) ठेकेदार द्वारा प्रदान किये जायेगें।

11- ठेकेदार/फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये कर्मचारी विद्यालय परिसर में /keɪ ku@e/ki ku निषेध होगा । तथा ऐसा करते पाये जाने पर फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सभी कर्मचारियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।

12- उपरोक्त कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों का चरित्र सत्यापन (Police Verification) ठेकेदार द्वारा करवाकर दिया जाना अनिवार्य है। कार्मिकों के बदली करने पर नये कार्मिकों की सूची अपने लेटर हैड पर मय चरित्र सत्यापन (Police Verification) देना अनिवार्य है तथा छावनी परिसर में प्रवेश करने हेतु अपने कार्मिकों के सुरक्षा पास (Security Pass) बनवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

13- I Qkbz dk; /&(Cleaning and sweeping/House Keeping) सम्पूर्ण विद्यालय परिसर, साईकिल स्टैण्ड, प्रार्थना स्थल विद्यालय शौचालयों, विद्यालय भवन एवं विद्यालय कक्षाओं की डस्टिंग, आसपास की सफाई तथा संलग्न प्रपत्रानुसार अन्य कार्य हेतु 3 (Three) कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे (जिसमें एक महिला कर्मचारी को होना अनिवार्य होगा। जिनकी समस्त प्रकार की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। सफाई कार्य के लिए आवश्यक सामान विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। I Qkbz dk; / grq Bdrnkj I keku ds fcuk jv HkjA I Qkbz dk; / dlnh; fo|ky; Hkou (vidyalaya Building) ds vlnj@ckgj rFkk I Ei wkl fo|ky; i fj | j% (Complete vidyalaya Campus) ea fd; k tk; sxA

ukv %& fo|ky; xh"ekodk'k](Summer vacation) 'kjn vodk'k (Winter Breaks), vkWe vodk'k (Autmn Breaks) vkfn yEcs vodk'k ds l e; fo/kky; dpy , d vFkok fo|ky; dh vko'drk vuq kj I Qkbz depkjh dks gh M; /h ij j [ksxk rFkk ml h ds vuq kj Hkqrku djsxk A

14- I j {kk dk; / %&(Watch and Ward duties) सुरक्षा कार्य हेतु 03 (Three) कार्मिक 24 घण्टे (प्रति कार्मिक 08 घण्टे) संलग्न प्रपत्रानुसार उपलब्ध करवाने होंगे। विद्यालय की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर ठेकेदार से हुए नुकसान की भरपाई की जावेगी। सुरक्षा कार्य हेतु तीन चौकीदारी कार्मिकों को विद्यालय केम्पस के अन्दर आने वाले सभी प्रकार के जानवरों जैसे गाय/कुत्ता आदि को रोकना होगा।

15- ckxokuh %&(Gardening Service) :- विद्यालय में बागवानी कार्य हेतु , d dky o vu||koh ckxoku dkfeld की सेवा उपलब्ध करवानी होगी । विद्यालय की सम्पूर्ण बागवानी की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर व ठेकेदार कर्मी से हुए नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी । बागवानी कार्य हेतु एक कार्मिक संलग्न प्रपत्रानुसार उपलब्ध करवाना होगा। ठेकेदार का कर्मचारी यदि अनुपस्थित रहेगा तो उसी अनुसार बिल में से भुगतान काटा जायेगा ।

16- सफाई कार्य, चौकीदारी एवं बागवानी कार्य की निगरानी विद्यालय द्वारा नियुक्त समिति ( Committee) के द्वारा किया जायेगा । यदि समिति जाँच के दौरान कोई भी कार्य/ सेवा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा। सभी कार्मिकों को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति विद्यालय कार्यलय में लगाये रजिस्टर पर अंकित करनी होगी।

17- विद्यालय के द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के सदस्यों के द्वारा दिये गये कार्य सुधार के निर्देशों का पालन नहीं करने पर ठेका निरस्त किया जायेगा।

18- I j {kk dk; / %&(Watch and Ward duties) jv i fr 0; fDr o i fr ekg ds nj l s noA

19- I Qkbz dk; /&(Cleaning and sweeping/House Keeping) & ckxokuh %&(Gardening Service) jv i fr 0; fDr o i fr fnu ds nj l s noA mDr l okvka grq dpy dk; / nol ka dk gh Hkqrku fd; k tk; sxA

20- QeZ }kjk rhuka l okvka ¼l g {kk} l Qkb} cxxokuh½ grq vi uh QeZ ds jS/@ nja fu/kkFjr l ayXu i i = v (Format-A) esa gh Hkj dj e; QeZ dh ekgj o yS/j gM ds l kFk fhktokuk vfuok; l gA

21- किसी भी कार्मिक के अनुपस्थित (Absent) रहने पर नियमानुसार भुगतान काटा जायेगा।

22- ठेकेदार अपने किसी भी कार्मिक को jkT; l jdkj@ dlnz l jdkj ds }kjk fu/kkFjr U; ure etnjh tks Hkh vf/kd gkj l s de etnjh dk Hkxrkku ughs djxkA तथा इस हेतु एक शपथ पत्र (Undertaking) विद्यालय में देना होगा कि, ठेकेदार/फर्म के द्वारा नियुक्त किसी भी कर्मचारी को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जो भी अधिक हो, से कम मजदूरी नहीं दी जा रही है।

23- Bdnkj dks ifrekg Hkxrkku iklr djus l siwZ Bdnkj dks **Copy of EPF/ESI/E-Pass Book/Proof of payment to Employees through Electronic mode** fo |ky; dks tek djokuh gksxhA VhMh, l dh dVkr ifrekg fu; ekuq kj dh tkoxhA

24- अधोहस्ताक्षरकर्ता कोटेशन को पूर्ण या भागों में ( Whole or Part ) स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार रखता है। और किसी भी निम्नतम राशि की कोटेशन को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है।

25- कोटेशन में दिये गये रेट 30-11-2018 तक मान्य होंगे।

26- bl dks/s ku ds l kFk (Pre-Contract Integrity pact proforma) Hkstk tk jgk gS bl ds vflre i "B ij QeZ ds ekfyd@ (Bidder) ds gLrk{kj e; QeZ dh ekgj ds , oank s xokgk (witness) ds gLrk{kj l fgr QeZ dh dks/s ku ds l kFk Hkstk tkuk vfuok; l gA bl ds fcuk dks/s ku Lohdkj ugh dh tk; sxhA

27- उपरोक्त दिये गये नियम व शर्तों के अनुसार कोटेशन नहीं पाये जाने पर कोटेशन को रद्द कर दिया जायेगा।

28. कोटेशन के साथ धरोहर राशि (EMD) रू0 5000/- का डी0डी0/चैक सलंगन करे जिस पर VVN A/c KV Faridkot Cantt लिखा हुआ हो।

29. fo |ky; dh l QkbZ 0; oLFkk@ckxokuh@l g {kk dh ns[kj s[k ½Supervision½ Bdnkj }kjk Lo; a dh tk; sxhA

30- Technical **BID** and Financial **BID** vyx&vyx fyQkQks esa egj cIn djds , d i fkd fyQkQks esa l hy djds fo |ky; dk; ky; esa tek djok; A

31- ; fn , d l s vf/kd iklr gDZ dks/s kuka ds jS/ , d l eku i k; s tkrs gS rks **Draw** ds ek/; e l s fu.kZ; fy; k tk l drk gA

(डॉ० हरजिन्दर कौर)  
प्राचार्या

- संलग्न 1. दरें भरने हेतु प्रपत्र अ एवं ब (Format –A & B)  
2. अनुबन्ध 1, 2 व 3 की प्रति  
3. Pre-contract Integrity Pact proforma